एस.एम.एस. अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एन.ओ.सी. देने के रैकेट का खुलासा

मामले में एसीबी की टीम ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ई.एच.सी.सी. अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को गिरफ्तार किया

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार देर रात को जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में रुपये लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने के मामले में सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेनदेन करते गिरफ्तार किया है। मामले में फोर्टिस अस्पताल के अंग प्रत्यारोपण समन्वयक विनोद को भी पकड़ा है।

एसीबी की टीम ने मौके से सत्तर हजार रुपये और तीन फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। साथ ही एसीबी के अधिकारियों ने आरोपी गौरव सिंह और अनिल जोशी के घर और अन्य ठिकानों पर सर्च किया। एसीबी को गौरव सिंह के घर से 100 से अधिक फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं। किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन और मुहर नहीं थी, लेकिन इन पर अस्पतालों के नाम लिखे थे। एसीबी की टीम ने आरोपी के ऑफिस से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। उधर मामले में चिकित्सा विभाग ने ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।

गिरफ्तार तीनों आरोपी गौरव सिंह, अनिल जोशी व विनोद।

गौरव सिंह को सस्पेंड किया

जांच में सामने आया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को 20 मार्च को अंग प्रत्यारोपण संबंधी यूनिट से हटाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण यूनिट में लगाया था। लेकिन उसने जॉइन नहीं किया था। गौरव सिंह को सोमवार को अस्पताल प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी मामले में फोर्टिस अस्पताल के को-ऑर्डिनेटर विनोद सिंह को भी गिरफ्तार किया है। विनोद ने भी रिश्वत देकर फर्जी एनओसी बनवाई थी। एसीबी ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए चार दिन के रिमांड पर लिया है।

एसएमएस प्रशासन ने की थी शिकायत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि एसीबी के पास तीन दिन पहले एसएमएस अस्पताल के अधिकारी ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोई अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बिना कमेटी की बैठक के जारी कर रहा है। साथ ही यह लोग पैसा लेकर फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बिना कमेटी के जारी इन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं हैं। यह लोग निजी अस्पतालों से सांठगांठ कर पैसा कमाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इस सूचना के बाद एसीबी के डीआईजी डॉ. रवि के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने गोपनीय तरीके से संदिग्ध अधिकारी की पहचान कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एसीबी ने रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे एसएमएस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को एनओसी के बदले लेन-देन करते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसीबी की प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह रिश्वत के बदले पिछले कई महीनों से कमेटी के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए एनओसी बनाकर कई अस्पतालों को दे चुका है।

- इस मामले में फोर्टिस अस्पताल के अंग प्रत्यारोपण समन्वयक विनोद को भी गिरफ्तार किया
- एसीबी ने रविवार देर रात डेढ़ बजे कार्रवाई को अंजाम दिया।
- एसीबी ने मौके से सत्तर हजार रुपये और तीन फर्जी एनओसी लेटर जब्त किए।
- आरोपी गौरव सिंह के घर से 100 से अधिक फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं।
- मामले में चिकित्सा विभाग ने ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस सस्पेंड किया।

इधर, मामले में ईएचसीसी अस्पताल ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को सस्पेंड कर दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से आंतरिक जांच की जा रही है। साथ ही वह एसीबी को जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

उच्च स्तरीय कमेटी का गठन

मामले को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने रिश्वत लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने के प्रकरण में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उच्च स्तरीय कमेटी से प्रकरण की जांच करवाने और 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।

एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक सतत प्रक्रिया है। केवल मरीज के ब्लड रिलेशन वाले को ही एनओसी दी जाती है। कमेटी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा, ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉ. अनुराग धाकड़, कार्डियक सर्जन डॉ. रामगोपाल यादव, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा, नेफ्रोलॉजी और गेस्ट्रॉलोजी के एक-एक डॉक्टर और अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते है। इस कमेटी के पास जब कोई लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट का केस आता है तो सबसे पहले डोनर और रिसीवर का ब्लड रिलेशन जांच करते हैं। अगर वह ब्लड रिलेशन में होता है तो दोनों (रिसीवर और डोनर) की मेडिकल जांच होती है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एनओसी जारी की जाती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। राजस्थान में अभी किडनी ट्रांसप्लांट 14 हॉस्पिटल में होता है।

राव राजेंद्र सिंह के कार्यालय का डॉ.पूनिया ने किया शुभारंभ

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के टाटियावास टोल प्लाजा के पास जयपुर ग्रामीण लोकसभा के चुनाव कार्यालय आमेर का उद्घाटन किया।

जयपुर । हरियाणा भाजपा प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के टाटियावास टोल प्लाजा के पास जयपुर ग्रामीण लोकसभा के चुनाव कार्यालय आमेर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है 'फिर से मोदी सरकार' के संकल्प में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सहित प्रदेश की सभी 25 सीटों की अग्रणी भूमिका होगी, राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताने का जनता मन बना चुकी है और भाजपा-एनडीए का 400 पार सीटों पर विजय का संकल्प भी देशभर में पूरा होगा।

सतीश पूनियां ने जयपुर ग्रामीण भाजपा लोकसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को भारी मतों से विजय बनाने का आवहान करते हुये कहा कि इनकी जीत से जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। सतीश पूनिया ने मंगलवार दोपहर 1 बजे कोटपूतली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में बड़ी संख्या में आकर भाजपा को समर्थन देने की आमजन, युवा, किसान और मातृशक्ति से विनम्र अपील की है।

जयपुर से सोनिया, राहुल और खड़गे करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत

- 6 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी चुनावी रैली
- इसी दिन पार्टी जारी करेंगी जन घोषणा पत्र

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले दौर के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस जयपुर में बड़ी रैली आयोजित कर राजस्थान की राजधानी से ही पार्टी का जन घोषणा पत्र जारी करेगी। इस रैली और जन घोषणा पत्र को जारी करने के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ,पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी महासचिव सचिन पायलट सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे।

इस आयोजन की तैयारी शुरू करते हुए जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र सहित आसपास के लोकसभा क्षेत्र से लोगों की भीड़ जुटाने के लिए पार्टी ने विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किए हैं। यह पहला मौका है जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपना जन घोषणा पत्र दिल्ली से जारी करने के बजाय राजस्थान की राजधानी जयपुर में रैली कर रही है। कांग्रेस की यह चुनावी रैली और जन घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम 6 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने इस चुनावी रैली और जैन घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम के लिए लोकसभा क्षेत्र सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, दौसा एवं अजमेर के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति की है। डोटासरा की ओर से लोकसभा क्षेत्र सीकर के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में रामसिंह राव, धोद में रघुवीर सिंह राठौड़, सीकर में राहुल भाकर, दांतारामगढ़ में सुरेन्द्र लाम्बा, खण्डेला में डॉ. राजेन्द्र मीणा, नीमकाथाना में अजयसिंह कच्छावा, श्रीमाधोपुर में भीमराज जाखड़, चौमूं में तारा बेनीवाल को प्रभारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली में सी. एल. यादव, विराटनगर में पी. एल. प्रजापति, शाहपुरा में अविनाश थानवी, फुलेरा में विक्रम वाल्मीकि, झोटवाड़ा में राजीव चौधरी, आमेर में राजेश अत्री, जमवारामगढ़ में अरूण लुहारीवाल, बानसूर में कमल पहाड़िया को प्रभारी लगाया गया है।

देश की महिलाओं का मोदी ने बढ़ाया है मान : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी जयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांगानेर विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी जयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांगानेर विधानसभा कार्यालय उद्घाटन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का मान बढ़ाया है, चाहे वह शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत हो, चाहे तीन तलाक हो या उज्जवला योजना के अंतर्गत दी गई सुविधाओं के अंतर्गत हो।

विधानसभा कार्यालय उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा जयपुर शहर से मंजू शर्मा को रिकार्ड मतों से विजय दिलवाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के 400 के लक्ष्य में सहयोग कर राजस्थान से हैट्रिक लगाते हुए 25 सीटों को जीता कर हमारे सांसदों को दिल्ली भेजेंगे। यह निश्चित ही संभव है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के विकास के लिए नए आयामो को छुआ है और ऐसे ऐतिहासिक कार्य करके दिए हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का विश्व में मान बढ़ाया है और इस बात को जानता जानती भी है इसी को ध्यान में रखते हुए जनता भाजपा को वोट देगी और निश्चित ही हम 400 के लक्ष्य को पार करेंगे और आने वाले समय में देश के हित में ऐतिहासिक फैसले लेंगे। कार्यक्रम में मंच पर प्रदेश और शहर की सभी महिला मोर्चे की पदाधिकारी मौजूद रही।

'शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में कहा है कि शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेमी के साथ लिव इन में रहने वाली पत्नी के पति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह सच है कि भारतीय समाज में शारीरिक संबंध विवाहित जोड़े के बीच ही होने चाहिए, लेकिन जब वयस्क स्वेच्छा से वैवाहिक संबंधों के बाहर संबंधों में शामिल होते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वयस्क युवक-युवती शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव इन में रहते हैं तो यह आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की है।

मामले के अनुसार पति ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि उसने अपनी पत्नी के अपहरण को लेकर वर्ष 2021 में भरतपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी।

लाइसेंसधारी की इच्छा के बिना शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं : हाईकोर्ट

- इस नए वित्तीय वर्ष में करीब 4000 से अधिक दुकानों की बोली नहीं छूटी है। वहीं विभाग ने गत 13 मार्च को आचार संहिता का हवाला देते हुए आदेश निकाला कि जिन दुकानदारों का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उन्हें नए नियमों के आधार पर तीन माह के लिए रिन्यू किया जा रहा है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आबकारी अधिनियम या अन्य नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लाइसेंसधारियों की इच्छा के बिना उनकी शराब की दुकानों का नवीनीकरण कर दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में विभाग की ओर से जारी 13 मार्च के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह रोक सिर्फ याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों में ही रहेगी।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि प्रदेश में करीब सात हजार पांच सौ से अधिक शराब की दुकानें हैं। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2023-24 के लिए दुकान संचालन के लिए लाइसेंस लिया था। इस नए वित्तीय वर्ष में करीब 4000 से अधिक दुकानों की बोली नहीं छूटी है। याचिकाकर्ताओं की दुकानों की भी आबकारी विभाग ने बोली लगाई, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। वहीं विभाग ने गत 13 मार्च को आचार संहिता का हवाला देते हुए आदेश निकाला कि जिन दुकानदारों का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उन्हें नए नियमों के आधार पर तीन माह के लिए रिन्यू किया जा रहा है।

राज्यपाल पिंजरापोल गौशाला पहुंचे, गौ-धन संरक्षण का किया आव्हान

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला स्थित वैदिक वन औषधीय पौध केन्द्र पहुंचे। उन्होंने वहां गौ माता की पूजा कर गौ सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों, दुर्लभ औषधियों पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पिंजरापोल गौशाला में उन्होंने प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर के भी दर्शन कर पूजा अर्चना कर सबके मंगल की भी कामना की।

- राज्यपाल ने गौ-काष्ठ और अन्य उत्पादों तथा औषधीय पौधों के संरक्षण की सराहना की

राज्यपाल ने गौशाला में गौ-माता की विभिन्न प्रजातियों और गौ-उत्पादों के निर्यात के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान वनौषधियों के संरक्षण के साथ ही जैविक फसल उत्पादन, वनों के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्य करने का आ ान किया। उन्होंने गौ माता के गोबर से बनी लकड़ी, अन्य उत्पादों का उपयोग करने और गौ-धन संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौ-माता हमारा पोषण करती है। गौ धन संरक्षण हम सभी का दायित्व है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला में गौ माता की पूजा की।

इससे पहले उन्होंने वहां महिला स्वयंसमूह की गतिविधियों और उत्पादों का भी अवलोकन किया।

इससे पहले राज्यपाल मिश्र के गौशाला पहुंचने पर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अतुल गुप्ता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गौशाला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी।

जीवंत संस्कृति वाला प्रदेश है ओडिशा : मिश्र

जयपुर, (का.सं.)। राजभवन में सोमवार को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान ओडिशा के स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना दी।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि ओडिशा समृद्ध पारंपरिक विरासत के साथ जीवंत संस्कृति वाला प्रदेश है। उन्होंने ओडिशा को भगवान जगन्नाथ, लिंगनाथ की धरती बताते हुए कहा कि अध्यात्म की भारतीय परंपरा से जुड़ी यह भूमि कला की भारतीय परंपरा से भी सर्वाधिक समृद्ध है।

उन्होंने कोणार्क, उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाओं की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी जो कलात्मक धरोहर है, सभी उसे संरक्षित करने में भी योगदान दें। उन्होंने विश्व इतिहास में प्रसिद्ध रहे कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा करते हुए मानवीय मूल्यों के लिए कार्य करने का आव्हान किया।

मिश्र ने ओडिशा के समृद्ध अतीत को याद करते हुए भविष्य के विकास के लिए सतत प्रतिबद्ध होकर कार्य करने पर जोर दिया। इससे पहले ओडिशा के स्थानीय जनों ने राजस्थान में रहने और ओडिशा की संस्कृति के अनुभव साझा किए। आरंभ में राज्यपाल ने सभी को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल उपस्थित रहे।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुख के साथ सूचित करते है कि **श्री अनिल चन्द मधुरिया** पुत्र स्व. श्री जमुना प्रसाद मधुरिया का स्वर्गवास दिनांक 31.03.2024 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 02.04.2024 को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान के पास चम्पेश्वर महादेव मन्दिर, 456, सचिवालय विहार कॉलोनी, गांव कल्याणपुरा सांगानेर पर होगी।

शोकाकुल- शरदचन्द (भाई), मीना (पत्नी) अंकुर-रक्षा, तुषार-वैशाली (पुत्र-पुत्रवधू), रितिका-आकाश (पुत्री-दामाद) एवं समस्त मधुरिया परिवार।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि एक सम्पति आवासीय प्लाट न. 350, सेक्टर न. 8, विधाधर नगर, जयपुर, राजस्थान कुल क्षेत्रफल 260 वर्गगज का स्वामित्वाधिकार श्री सुदामा केशवानी एवं सजंय केशवानी को था। तत्पश्चात श्री सुदामा केशवानी के स्वर्गवास होने पर उनका 1/2 अविभाजित हिस्सा उनके वारिसान श्रीमती गीता केशवानी, सुबुधी केशवानी एवं अवनीश केशवानी ने श्रीमती पद्मा देवी के पक्ष मे हक त्याग दिनांक 20.03.2024 को कर दिया। श्रीमती गीता केशवानी, सुबुधी केशवानी एवं अवनीश केशवानी के अलावा स्वर्गीय सुदामा केशवानी के अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस नहीं है। तत्पश्चात श्रीमती पद्मा देवी ने उक्त 1/2 अविभाजित हिस्से को सजंय केशवानी के पक्ष में दिनांक 20.03.2024 को बख्शीश कर दिया। जिसके फलस्वरूप उक्त संपूर्ण सपति के स्वामित्वधिकार सजंय केशवानी को प्राप्त हुए। श्री सजंय केशवानी उक्त सम्पति को ICICI Bank Ltd. में बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर रहे है। उक्त सम्पति स्वामित्व, क्रय एवं ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 7 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगीं।

पुलकित गर्ग
एडवोकेट
MZ-4, अलंकार टॉवर, कबीर मार्ग,
बनीपार्क, जयपुर-302016
मो. 09828084002

वास्ते - प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, रोहतास तातारास, बिहार
वैवाहिक वाद संख्या-361 सन् 2023
डा. संतोष कुमार.....आवेदक
बनाम
संगीता....विपक्षी
नोटिस बनाम-
संगीता पिता रामाशंकर सिंह वो पति डा.संतोष कुमार
ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुखरेरी, रतनगढ़ जिला चूरू, राजस्थान
पिन नं. 331022 अन्यपता पलॉट नं. 15 पवन विहार, इस्कोन टेम्पूल रोड नियर कसना स्वीट्स मानसरोवर जयपुर-27 पिन कोड-302020
चूंकि बजरिये इस नोटिस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक ने आपके विरूद्ध उक्त वाद दाखिल किया है जो मेरे न्यायालय में चल रहा है। आप नजारत नोटिस, निबंधित नोटिस के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही है। अतएवं इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उक्त वाद में निर्धारित अगली तिथि 24.05.2024 को समय 7 ए.एम. बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।
इसे अति आवश्यक समझें।
यह नोटिस आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया जाता है।
दिनांक-28.03.2024 मोहर अदालत प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय रोहतास, तातारास, बिहार

खोया पाया

I Shikha Shrivastava W/o Late Shri Rohit shrivastava declare that I have lost my husband's name property document , plot no.1256 JDA patta, gram nevta tehsil Sanganer and plot number 46 sarasvati Enclave village pawaliya tehsil Sanganer, If found inform me 9950729227

नाम परिवर्तन

मैं जय श्री पत्नि हितेश हरपलानी निवासी प्लॉट नं. सी-77-ए, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर। मेरी पुत्री की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की अंकतालिका में मेरा नाम निशा हरपलानी अंकित है जो कि गलत है। अतः भविष्य में मुझे जयश्री के नाम से जाना पहचाना जावें।

Army No -8038350N Rank-L/NK (GD) Name Rathod Karansinh Kalusinh at&po Sahebapur, Teh-Himatnagar, PS-himatnagar,Dist-Sabarkantha,(Gujarat) Pin - 383001.Army service Records my son name is registered as Rathod Rudrarajsinh that's Wrong.I want to register in my service Records my son is Rathod Rudrarajsinh Karansinh.

Army No -8039025A Rank-L/NK (GD) Name Chauhan HiteshKumar Natvarsinh at&po-Shampur,PS-Sabalpur, Dist-Arvalli,(Gujarat) Pin -383320.Army service Records my son name is registered as Chauhan Pradipsinh that's Wrong.I want to register in my service Records my son is Chauhan Pradipsinh Hiteshkumar.

I have changed my name from mahesh Kumar to mahesh Kumar navani r/o 118/88 agarwal farm mansarovar Jaipur